

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
अन्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

तारीख: दिनांक 15-8-2020

-कार्यालय कार्य-

प्रदेश सरकार, प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय, प्राथमिक शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-8-2020 को अनुसूचित क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्राथमिक कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्यीय स्तर पर 2020-21 हेतु अनुसूचित क्षेत्र सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता सम्बन्धी की सम्बद्धता विभाग/सम्बद्धता/अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा की जा विचार करने हेतु वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता विभाग किए जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुसार में सम्बद्धता समिति की बैठक के 14-8 में निर्देशित हुए राज्यीय कार्यालय सम्बन्धित करने हेतु हेतु में सम्बद्धता सम्बन्धी का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रस्तुत विचार-विचारों का विस्तारपूर्वक विचार किया गया -

विशेष ध्यान में आया कि विभाग द्वारा राज्यीय कार्यालय में कार्य करने वाली सम्बन्धित की प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में सम्बद्ध है, का वर्ष 2020-21 हेतु प्रारम्भिक/पूर्व से सम्बद्धता अनुसूचित क्षेत्रों द्वारा किया गया है। इन सम्बन्धितों में प्रारम्भिक/पूर्व से सम्बद्धता द्वारा प्रस्ताव किने एवं अनुसूचित विभाग में अनुसूचित प्रस्ताव प्राप्त की सम्बन्धित अधिकार/अधिकार/अधिकार के साथ साथ 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद के सम्बद्धता विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय द्वारा किया-विचार किया तथा सर्वसम्मति से प्रारम्भिक/पूर्व से सम्बद्धता द्वारा प्रस्ताव अनुसूचित विभाग में अनुसूचित में वर्ष 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा किए जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-8-2020 को अनुसूचित सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्देशित की प्रस्तावित निर्णय की अनुसूचित में निर्णय प्रस्ताव का प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित कार्य में अन्तर प्रदेश सरकार एवं अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद हेतु सम्बद्धता विभाग प्रस्ताव की जाती है -

क्र. सं.	वर्ष	संख्या का नाम	सम्बद्धता का नाम	प्राथमिक/पूर्व से सम्बद्धता/अनुसूचित क्षेत्रों द्वारा	प्राथमिक/पूर्व से सम्बद्धता/अनुसूचित क्षेत्रों द्वारा
1	2020	अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश सरकार	अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद	अनुसूचित क्षेत्रों द्वारा	अनुसूचित क्षेत्रों द्वारा

सम्बद्धता हेतु सूची

- ✓ अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णयित की गयी कार्य के पूर्णतः पूर्ण की गयी।
- ✓ अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णयित की गयी कार्य के पूर्णतः पूर्ण की गयी।
- ✓ अन्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णयित की गयी कार्य के पूर्णतः पूर्ण की गयी।

(Handwritten signature)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2723-SAMARPAN COLLEGE OF PHARMACY, GOSHLA, CHINHAT DEWA ROAD, LUCKNOW			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAMARPAN COLLEGE OF PHARMACY, GOSHLA, CHINHAT DEWA ROAD,
LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव